

**हरियाणा सरकार**

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 8 जुलाई, 2022

**संख्या सांका०नि० 131/संवि०/अनु० 309/2022.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1997, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1997 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5. आयु – कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अठारह वर्ष से कम और बयालीस वर्ष से अधिक आयु का हो :

परंतु सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा विहित विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट स्वीकार्य होगी।”।

एस० एन० राय,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT**

**Notification**

The 8th July, 2022

**No. G.S.R. 131/Const./Art. 309/2022.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology and Museum (Group C) Service Rules, 1997, namely:—

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology and Museum (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana State Archaeology and Museum (Group C) Service Rules, 1997, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

“5 Age.— No person shall be appointed to any post in service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty two years of age, on the last date of submission of application to the commission or any other recruiting authority:

Provided that relaxation in upper age limit shall be admissible to the persons of various categories as prescribed by the government from time to time.”.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Archaeology and Museums Department.